

छोटे शहरों में पीपीपी मॉडल से इलाज

स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह कहते हैं कि छह महीने के कामकाज से चिकित्सा क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन कर देने का दावा तो वह नहीं करते, पर प्रयास शुरू हुए हैं। सरकार को लोगों को बेहतर सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ डॉक्टरों के सम्मान की भी फिक्र है। नर्सिंग होम को सरकार महत्वपूर्ण धुरी मानती है, वे एक कदम बढ़ेंगे तो सरकार दस कदम आगे बढ़कर उनकी समस्याएं सुलझाएगी। छोटे शहरों में पीपीपी मॉडल पर इलाज मुहैया कराया जाएगा। सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बुधवार को यहां योगी सरकार के छह महीने के कार्यकाल पर 'अमर उजाला' की तरफ से आयोजित 'संवाद' कार्यक्रम में ये बातें कहीं।

क्या सरकार संविदा पर भर्तियों को एकमात्र बेहतर विकल्प मानती है?

ऐसा नहीं है। सरकार मानती है कि इससे सेवाओं की गुणवत्ता गिरती है। इसलिए संविदा सिस्टम को खत्म करने पर विचार हो रहा है। नियमित भर्तियों की तैयारी हो रही है। प्रदेश के सिस्टम में गड़बड़े ही गड़बड़े हैं। इसे सुधार रहे हैं।

तमाम जगह बिल्डिंगें खड़ी हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं?

यह सही है कि तमाम स्थानों पर हॉस्पिटल बने खड़े हैं, लेकिन उनमें डॉक्टर नहीं हैं। ऐसी जगहों पर पीपीपी का फायदा लिया जाएगा। सीजीएचएस के रेट पर मरीजों को इलाज व जांच की सुविधाएं दी जाएंगी। पिछली सरकार ने जहां भर्ती होनी चाहिए, वहां की नहीं और जहां जरूरत नहीं थी वहां भर्तियां कर डालीं। हमारी मजबूरी है कि उन्हीं से काम लेना है।

विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी कैसे दूर करेंगे? टेलीमेडिसिन नेटवर्क बनाया जा रहा है। अभी तक ऐसा नेटवर्क देश में कहीं भी नहीं है। इस व्यवस्था में कहीं से कोई डॉक्टर मरीज के हित में विशेषज्ञ चिकित्सक से बात करके अच्छा इलाज कर सकेगा। हमारी सरकार ने छह महीने में 2065 डॉक्टरों की भर्तियां की हैं। लगभग 1000 डॉक्टरों की भर्ती सीधे इंटरव्यू से कर रहे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पर आयुष डॉक्टरों की तैनाती पर भी विचार किया जा रहा है।

विशेषज्ञ चिकित्सकों के तबादलों से इलाज में दिक्कतें क्यों पैदा की जाती हैं? जिस मानव संपदा सॉफ्टवेयर से तबादले हुए थे, उसमें स्पेशलिस्ट चिकित्सकों के लिए अलग से व्यवस्था थी। इसके बावजूद कुछ दिक्कतें हुई हैं, जिन्हें दूर कर लिया है। 10 दिन में संशोधित सूची जारी कर दी जाएगी।



डॉ. सिद्धार्थ नाथ सिंह
चिकित्सा-स्वास्थ्य मंत्री, यूपी

डॉक्टरों का लौटाएंगे सम्मान, बनेगा अलग काडर

ख्याल नर्सिंग होम का भी, पर एक हाथ से ताली नहीं बजती

सरकारी क्षेत्र के डॉक्टरों का सम्मान सुरक्षित रखने के लिए सरकार कुछ करेगी? मैं सहमत हूँ कि यूपी में डॉक्टरों के साथ चपरासी की तरह व्यवहार होता है। जिलों में सीएमओ तक को ड्यू रिस्पेक्ट (सम्मान) नहीं दी जाती। स्थिति में बदलाव के लिए डॉक्टर्स का एक अलग काडर बनाने जा रहे हैं। सुरक्षा के भी पर्याप्त प्रबंध किए जाएंगे।

डॉक्टरों से ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने की अपेक्षा तो होती है लेकिन सुविधाएं क्यों नहीं मिलती?

सरकार दिक्कत समझ रही है। इसलिए इस साल कोई नया पीएचसी या सीएचसी नहीं खोला जाएगा। पहले से बने पीएचसी में डॉक्टरों के लिए ब्लॉक स्तर पर फ्लैट्स बनाए जाएंगे। इनमें 24 घंटे पावर सप्लाई होगी। जनरेटर भी रहेगा। ग्रामीण क्षेत्र में तैनाती पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी।

राजधानी के अलावा दूसरे स्थानों पर बायोमेट्रिकल वेस्ट मैनेजमेंट पर ध्यान क्यों नहीं?

इस मामले को देखा जाएगा। कहीं कमी होगी तो उसे दूर किया जाएगा। स्वास्थ्य व पर्यावरण संरक्षण से कोई समझौता नहीं होगा।

मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे में भेजने की प्रक्रिया को सरकार आसान क्यों नहीं करती?

रेफरल सिस्टम को सुधारने के लिए 108 एंबुलेंस के नए टेंडर किए जा रहे हैं। हर क्लस्टर में अलग सेवा प्रदाता होगा। पैथोलॉजी सेवाओं में भी सुधार किया जा रहा है। सरकार पीपीपी मॉडल पर भी काम कर रही है।

केजीएमयू सहित कई जीएनएम ट्रेनिंग सेंटरों को बंदी से कैसे बचाएंगे?
प्रशिक्षित पैरामेट्रिकल, स्टाफ नर्स न हो तो

ये भी मिले सुझाव

स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर फार्मासिस्ट भी रखे जाएं। फार्मासिस्टों को प्रिस्क्रिप्शन लिखने का अधिकार मिले।

सीएचसी पर 6 व पीएचसी पर 3 फार्मासिस्ट तैनात हों।

विशेषज्ञों की कमी दूर करने के लिए 400 सीटों पर पीजी डिप्लोमा शुरू कराया जाए।

दवाओं की उपलब्धता के लिए कॉर्पोरेशन में फार्मासिस्ट काडर के लोग रखे जाएं।

स्वास्थ्य सेवाएं सही से मुहैया कराने में दिक्कत होती है। स्किल्ड मानव संसाधन तैयार करने के प्रयास जारी हैं। झांसी में एक ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा आशा, एएनएम, आंगनबाड़ी के काम आपस में ओवरलैप हो रहे हैं। इसे सुधारा जाएगा।

फार्मासिस्टों की तैनाती के मानक बनाने पर क्या हो रहा है?

इम्पूवमेंट है। आपके सुझावों को ध्यान में रखा जाएगा, पर सरकारी कर्मचारियों को भी तो सेवाभाव पैदा करना चाहिए। कोई लखनऊ से हिलना नहीं चाहेगा, विधायकों से सिफारिश कराकर ट्रांसफर रुकवाने की कोशिश करेगा, तो समस्याएं कैसे ठीक होंगी।

नर्सिंग होम व क्लीनिक के पंजीकरण की प्रक्रिया आसान क्यों नहीं की जाती?

यह मामला क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से संबंधित है। मुझे पता है कि प्रत्येक वर्ष सीएमओ के यहां पंजीकरण कराने से निजी अस्पतालों के प्रबंधन को दिक्कतें होती हैं। सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है। कोशिश है कि निजी अस्पतालों के प्रबंधन को इस्पेक्टर राज से मुक्ति मिल जाए। इस्पेक्टर राज से वसूली होती है, पर निजी चिकित्सक भी अपने अंदर सुधार लाएं। गरीब मरीजों पर ध्यान दें, सिस्टम और चिकित्सा सेवा के सिद्धांतों को ध्यान में रखें। सरकार से मदद चाहिए तो उन्हें भी कुछ देना होगा।

अमर उजाला संवाद में इन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से पूछे सवाल



डॉ. अमित सिंह
महामंत्री, पीएमएस
एसोसिएशन



डॉ. अनूप अग्रवाल
महासचिव, लखनऊ
नर्सिंग होम एसो.



डॉ. जीसी मक्कड़
अध्यक, नर्सिंग
होम एसोसिएशन



डॉ. पीके गुप्ता
अध्यक्ष
आईएमए



डॉ. वैभव खन्ना
प्लास्टिक सर्जन



डॉ. विकासेंदु
उपाध्यक्ष पीएमएस
एसोसिएशन



सुरेश रावत
अध्यक्ष, लैब
टेक्नीशियन एसो.



सुनील कुमार,
प्रवक्ता, लैब
टेक्नीशियन एसो.



सुनील यादव,
अध्यक्ष, राजकीय
फार्मासिस्ट महासंघ



अरुण कुमार
महामंत्री, राजकीय
नर्सिंग संघ